श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति</u> : पंजी में संधारित।

<u>कार्यवाही</u>

बैठक में बताया गया कि 29 वाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 23 अप्रिल, 2018 से 30 अप्रिल 2018 तक आयोजन किया जाना है। विभाग स्तर से सूचित किया गया है कि वर्ष, 2018 के सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय है–'सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा''। इस क्रम में विभाग के द्वारा आदेश निर्गत है तथा तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित की गई है। बैठक में कार्यक्रम पर विचार–विमर्श किया गया तथा तिथिवार निम्नवत् कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु निर्णय लिया गया–

दिनांक	विभागीय कार्यक्रम	बैठक में दिये गये निदेश	अनुपालन
23.04.2018 (सोमवार)	(i) एन0सी0सी0 कैडेट/स्काउट गाईड तथा स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित नारों/स्लोगन लिखित तख्ती के साथ पैदल/कैन्डिल मार्च।	(i) इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि एन0सी0सी0 कैडेट/स्काउट गाईड तथा स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा दो किलोमीटर तक सड़क सुरक्षा से संबंधित नारों/स्लोगन लिखित तख्ती के साथ प्रभात फेरी कराया जाय। कार्यक्रम की शुरूआत दिनांक 23.04.2018 को पूर्वाह्न 7.00 बजे किला मैदान से जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रभात फेरी हेतु स्थानीय विद्यालयों के बच्चों को उपस्थित करायेंगे तथा एन0सी0सी0 कैडेट/स्काउट गाईड को भी पत्र निर्गत कर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नारों/स्लोगन को अपने स्तर से बनवायेंगे तथा प्रभात फेरी का रुट पूर्व से ही निर्धारित करेंगे। प्रभात फेरी हेतु किला मैदान में आवश्यक व्यवस्था बेहतर तरीके से नजारत उप समाहर्त्ता के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से विर्मश कर की जाएगी तथा इस कार्यक्रम की सूचना एक दिन पूर्व मीडिया को उपलब्ध कराने हेतु जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेशित किया गया।	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ नजारत/ उप समाहर्त्ता/ जिला परिवहन पदाधिकारी

	(ii) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को स्कूली बच्चों द्वारा गुलाब का फूल देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का सुखद संदेश देना	(ii) स्थानीय थाना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिन्हित स्थलों पर बच्चों को रखेंगे तथा नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का सुखद संदेश देंगे। पर्याप्त संख्या में गुलाब का फूल की व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी अपने स्तर से इस कार्यक्रम को समन्वय स्थापित कर सम्पन्न करायेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी।
24.04.2018 (मंगलवार)	(i) यातायात नियमों/ यातायात संकेतक चिन्हों पर विशेषज्ञों द्वारा विद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर व्याख्यान का आयोजन एवं हैंडबिल/पम्फलेट इत्यादि का वितरण	(i) यातायात नियमों/यातायात संकेतक चिन्हों पर विशेषज्ञों द्वारा विद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर व्याख्यान की व्यवस्था कराने का निदेश दिया गया। साथ ही उक्त कार्यक्रम में हैंडबिल/ पम्फलेट इत्यादि का वितरण कराने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि व्याख्यान हेतु अपने स्तर से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे तथा हैंडबिल/ पम्फलेट इत्यादि का वितरण भी सुनिश्चित करायेंगे। इस कार्यक्रम में विद्यालय/ महाविद्यालयों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से करने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि चयनित विद्यालयों की सूची पूर्व में ही जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी उक्त विद्यालय का भ्रमण कर व्याख्यान के संबंध में तैयारी कर लेंगे ताकि कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सके।	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी।
	(ii) विशेष वाहन जाँच अभियान	(ii) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटर यान निरीक्षक/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी
25.04.2018 (बुधवार)	(i) विद्यालयों/ महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा विषय पर वाद–विवाद/ पेंटिंग प्रतियोगिता / नाटक प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना तथा प्रमाण–पत्र वितरण	(i) बैठक में निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा विषय पर वाद–विवाद/ पेंटिंग प्रतियोगिता/ नाटक प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित विद्यालयों/ महाविद्यालयों के	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी।

	करना।	प्रधानाध्यापक/ प्रचार्य को इस कार्यक्रम के बारे में सूचित करेंगे तथा कार्यक्रम आयोजित करायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के प्रथम तीन प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।	
	(ii) वैसे बैनर, हैर्डिंग एवं पोस्टर जो सड़क के किनारे हो, जिनसे चालकों का ध्यान Distract होता है उसे हटाने का कार्य किया जाय।	(ii) बैठक में निदेशित किया गया कि बैनर, होर्डिंग एवं पोस्टर जो सड़क के किनारे हो, जिनसे चालकों का ध्यान Distract होता है उसे अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमरांव इस प्रकार के बैनर, हैर्डिंग एवं पोस्टरों को हटवाना सुनिश्चित करेंगें। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव अनुश्रवण कर इसे सुनिश्चित करायेंगे।	अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/ डुमरांव
	(iii) विशेष वाहन जाँच अभियान	(iii) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष /मोटर यान निरीक्षक/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी
26.04.2018 (बृहस्पतिवार)	(i) नुक्कड़ नाटक का आयोजन।	(i) सड़क सुरक्षा के विषय पर शिक्षा विभाग की साक्षरता टीम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया।	जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी
	(ii) राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ एवं अन्य पथों के अत्यधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के आस–पास के नजदीकी अस्पताल/ प्राथमिक उपचार केन्द्र की दूरी, दूरभाष / मोबाईल नम्बर एवं एम्बुलेंस से संबंधित सूचनात्मक सड़क चिन्ह का अधिष्ठापन।	(ii) सिविल सर्जन, परियोजना निदेशक, NHAI एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ एवं अन्य पथों के अत्यधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के आस–पास के नजदीकी अस्पताल/प्राथमिक उपचार केन्द्र की दूरी, दूरभाष/ मोबाईल नम्बर एवं एम्बुलेंस से संबंधित सूचनात्मक सड़क चिन्ह का अधिष्ठापन करायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बक्सर / डुमरांव/ परियोजना निदेशक, NHAI /जिला परिवहन पदाधिकारी/ सिविल सर्जन,

	(iii) विशेष वाहन जाँच अभियान	(iii) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटर यान निरीक्षक/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,/अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी
27.04.2018 (शुक्रवार)	(i) विशेष दल द्वारा सघन वाहन जाँच अभियान।	(i) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटर यान निरीक्षक/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी
	(ii) सभी निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक।	(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से सभी निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सड़क सुरक्षा तथा यातायात के नियमों से अवगत करायें।	जिला परिवहन पदाधिकारी।
28.04.2018 (शनिवार)	(i) पथ निर्माण से जुड़े सभी विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग/ राज्य उच्च पथ/ जिला एवं अनुमण्डल मुख्यालय से सड़क के किनारे स्थित विद्यालयों के 50 मीटर आगे एवं 50 मीटर पीछे 'आगे स्कूल है/School Ahead एवं हार्न बजाना अनिवार्य/ Compulsory Sound Horn, का सचेतक चिन्ह लगवाना सुनिश्चित करेंगे। ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के पूर्व सचेतक सड़क चिन्ह/ Compulsory Road Signs का भी अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जायगा।	(i) राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, NHAI एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि जिला एव अनुमण्डल मुख्यालयों तथा अन्य पथों के किनारे विद्यालयों के 50 मीटर आगे एवं 50 मीटर पीछे 'आगे स्कूल है/School Ahead एवं हार्न बजाना अनिवार्य/ Compulsory Sound Horn, का सचेतक चिन्ह लगवाना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में लगाये गये सचेतक चिन्ह जो खराब हो गया है या टूट गये है उसे बदलकर पुनः लगाने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस हेतु संबंधित विभागों को पत्र निर्गत करायेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी।
	(ii) विशेष वाहन जाँच अभियान।	(ii) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटरयान निरीक्षक /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला

			परिवहन पदाधिकारी
29.04.2018 (रविवार)	(i) जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर वाहन चालकों के लिए मुफ्त में आँख जाँच शिविर का आयोजन किया जायेगा।	(i) सिविल सर्जन, बक्सर को जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर वाहन चालकों के लिए मुफ्त में आँख जाँच शिविर का लगाने का निदेश दिया गया। इस शिविर का पूर्व से प्रचार–प्रसार कराने का निदेश दिया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से इस शिविर के बारे में वाहन चालकों को जानकारी दें ताकि वे लाभ उठा सके।	जिला परिवहन पदाधिकारी/ सिविल सर्जन
	(ii) सभी वाहन डीलर के साथ बैठक।	(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने स्तर वाहन डीलरों के साथ बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी
	(iii) ब्लैक स्पॉट की सूची को अंतिम रूप देना।	(iii) पुलिस विभाग के द्वारा ब्लैक स्पॉट की सूची उपलब्ध कराई गई, परन्तु बताया गया कि विगत कैलेण्डर वर्ष में कोई ऐसा स्थल नहीं है, जहाँ 10 सड़क दुर्घटनाएँ हुई हो। बैठक में उपस्थित पुलिस उपधीक्षक, मुख्यालय को निदेशित किया गया कि थाना स्तर से पुनः समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजें।	पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय
	(iv) विशेष वाहन जाँच अभियान।	(iv) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटरयान निरीक्षक / अनुमण्डल पुलिस पदा0,/ अनुमण्डल पदा0/ जिला परि0पदा0
30.04.2018 (रविवार)	(i) विद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर शिविर / सेमिनार/ सभा का आयोजन कर वाहनों में Speed/ Reflective Tape तथा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता की जानकारी देना एवं Good Samaritan बनने का आह्वान करना।	(i) जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर शिविर / सेमिनार/ सभा का आयोजन कर वाहनों में Speed/ Reflective Tape तथा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता की जानकारी देने एवं Good Samaritan बनने का आह्वान कराने की व्यवस्था करेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी
	(ii) विशेष वाहन जाँच अभियान।	(ii) बैठक में सभी थाना, मोटर यान निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाने का निदेश दिया गया।	सभी थानाध्यक्ष/ मोटरयान निरीक्षक /अनुमण्डल पुलिस पदा0/ अनुमण्डल पदा0/ जिला परि0 पदा0

बैठक में निदेशित किया गया कि उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफ एवं सूचना मीडिया को जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने वाले उपर्युक्त कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों/गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित करेंगें तथा सभी संबंधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करायेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों के समापन के पश्चात् कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन (फोटो, प्रेस कटिंग तथा डाक्युमेन्टस) एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सम्पूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु दैनिक आधार पर सम्पन्न होने वाले कार्यक्रमों के documentation हेतु एक सेल का गठन किया जाता है जिसमें नजारत उप समाहर्त्ता एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी रहेंगे। नजारत उप समाहर्त्ता को निदेशित किया जाता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिदिन होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन हेतु अपने स्तर से देख–रेख करेंगे तथा प्रतिदिन के कार्यक्रम का ब्योरा एवं फाटोग्राफ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से मीडिया को उपलब्ध करायेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/04/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 19-0306 परि० दिनांक 19-04-2018

प्रतिलिपि : सभी थानाध्यक्ष/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, डुमरांव/परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/नजारत उप समाहर्त्ता/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/पुलिस उपधीक्षक, मुख्यालय/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 19-0306 परि० दिनांक 19-04-2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/04/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।